



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)



परियोजना कार्यान्वयन ईकाई-वसन्त विहार। **Project Implementation Unit-Vasant Vihar**

मकान सं० 171, फेज-I, वसन्त विहार, देहरादून - 248006 House no.171, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web: www.nhai.gov.in

NHAI/PIU/VV/2023/Bhaniyawala-Rishikesh/Forest/ 5120

Dt.10.08.2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

देहरादून वन प्रभाग

जनपद - देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय: उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 (स्पर) के भानियावाला - जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश किमी० 0.000 से किमी 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक - ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/146663/2021 के संबंध में।

संदर्भ:

1. ई०डी०एस० दिनांक 10.08.2023
2. इस कार्यालय का पत्र सं० 5080 दिनांक 01.08.2023
3. डी०पी०आर० कनसलटेन्ट मै० योंग्मा इन्जी० कं० लि० का पत्रांक 2807001 दिनांक 28.07.2023
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून कार्यालय पत्रांक 101 दिनांक 20.07.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून कार्यालय पत्रांक 101 दिनांक 20.07.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसकी प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्रेषित है एवं आपके कार्यालय द्वारा विषयगत परियोजनाओं के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में लगाये गये ई०डी०एस० के निस्तारण हेतु इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है।

उक्त के क्रम में प्रश्नगत प्रकरणों में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में दिनांक 10.07.2023 को आहूत बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही करते हुए आख्या निम्नानुसार प्रेषित है:-

भानियावाला-ऋषिकेश मार्ग को चार लेन का बनाना

Sl. No.	Observations	Compliance
1	परियोजना निदेशक भा०रा०रा०प्रा०, पी०आई०यू० -वसन्त विहार (देहरादून) द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित परियोजना देहरादून, ऋषिकेश व जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट में आने जाने वाले यातायात को कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। संदर्भित परियोजना हेतु देहरादून वन प्रभाग की बड़कोट, ऋषिकेश, एवं थानों रेंज में कुल 19.8345 है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर वानिकी प्रयोग हेतु किया जाना है। परियोजना की कुल लम्बाई 20.600 कि०मी० में से 9.170 कि०मी० भाग वन क्षेत्रान्तर्गत से होकर गुजर रहा है, जिसमें विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के कुल 4442 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना में गैर वन भूमि (सड़क किनारे) पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 215 वृक्ष एवं नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 209 वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संदर्भित परियोजना अन्तर्गत वन्यजीवों/हाथी के आवागमन हेतु 05 ऐलिफेन्ट अण्डरपास प्रस्तावित हैं।	इस परियोजना से कुल 4442 पेड़ प्रभावित हैं जिनमें से 1085 छोटे पौधे (Saplings) हैं। छोटे पौधे (Saplings) को आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यदि छोटे पौधे (Saplings) को हटा दिया जाए तो काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 3357 होगी। 1. भानियावाला-ऋषिकेश वाया जौलीग्रान्ट एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है जो जौलीग्रान्ट हवाई अड्डे को देहरादून के सभी तरफ से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। इस मार्ग के द्वारा चार धाम की ओर जाने वाले तीर्थयात्री एवं ऋषिकेश और मसूरी को जाने वाले पर्यटकों को हिमाचल, हरियाणा और पंजाब से कनेक्टिविटी प्रदान होती है। इस मार्ग पर वर्तमान समय में यातायात 17000 से 19000 पीसीयू (Passenger Car Unit) तक है। आई०आर०सी० (Indian Road Congress) मानदंडों के अनुसार, दो-लेन राजमार्ग की क्षमता 15000 पीसीयू है। मौजूदा राजमार्ग के संरक्षण में ज्यामितीय कमी के कारण सुधार की आवश्यकता है। परियोजना का कार्य पूर्ण होने तक (वर्ष 2026) यातायात और बढ़ जाएगा। साथ ही इस मार्ग हाथियों की आवाजाही रहती है जिससे कई बार यातायात बाधित होता है। उपरोक्त और कई अन्य कारकों के कारण, इस राजमार्ग को 4-लेन मानकों में अपग्रेड करना अति आवश्यक है।

क्रमशः...2

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) एवं अन्य उपस्थित वनाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त यह पाया कि इस रोड़ पर यातायात कम है एवं जाम की स्थिति नहीं होती है। साथ ही इस परियोजना के चौड़ीकरण में कुल 4442 वृक्ष प्रभावित हो रहें हैं, जो कि अत्यधिक हैं। यदि इतने वृक्षों का पातन उक्त परियोजना हेतु किया जायेगा तो इससे उक्त क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0- वसन्त विहार (देहरादून) को निर्देश दिये गये कि इस परियोजना के 4-लेन चौड़ीकरण की आवश्यकता एवं उपयोगिता के संबंध में पुनर्विचार किया जाय।	2. पूर्व में कई संरेखणों पर विचार किया जा चुका है (संलग्नक-1), जिसमें से वर्तमान में प्रस्तावित संरेखण को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि इसमें सबसे कम वन भूमि शामिल थी। चूंकि वर्तमान राजमार्ग पहले से ही मौजूद है और वर्तमान राजमार्ग के सामान्तर चौड़ीकरण प्रस्तावित है, इसलिए परियोजना हेतु केवल 10-12 मीटर अतिरिक्त वन भूमि की आवश्यकता है। 3. एलिवेटेड हाईवे का विकल्प: वृक्षों के पातन की संख्या कम से कम करने को दृष्टिगत रखते हुए वन क्षेत्र में 4-लेन राजमार्ग निर्माण हेतु न्यूनतम 23 मीटर आरओडब्ल्यू लिया गया है, जिसमें हाथी अण्डरपास (EUPs) की चौड़ाई भी 23 मी0 ही है। जब कि नाप भूमि में 4-लेन चौड़ीकरण हेतु कुल 30-36 मी0 का भूमि अधिग्रहण किया गया है। अतः यदि पूर्ण वन क्षेत्र में उन्नत संरचना (Elevated Structure) प्रस्तावित की जाती है, तब भी वृक्षों के पातन की संख्या में कोई कमी नहीं आयेगी। 4. वन खंड में लगभग 8 किमी लम्बाई में 2-लेन से 4-लेन तक चौड़ीकरण प्रस्तावित है। जिसमें 04 हाथी अण्डरपास कुल 3.060 किमी की लंबाई में प्रस्तावित किए गये हैं। हाथी अण्डरपास वाले भाग में प्रभावित वृक्षों की संख्या लगभग 1500 (Saplings सहित) है। 5. इसके अलावा इस परियोजना में 1 मेजर ब्रिज, 2 माईनर ब्रिज तथा 19 कलवर्ट का भी प्रावधान वन क्षेत्र में किया गया है, जिससे जंगली जानवर क्रॉस कर सकते हैं। 6. साथ ही साथ यह भी अवगत कराना है कि यह प्रस्ताव दिनांक 16.04.2022 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया गया था। परियोजना को परिवेश पोर्टल पर अपलोड करने से पूर्व एक प्रस्तुतिकरण राज्य सरकार के समक्ष दिनांक 11.11.2020 को किया गया था, जिसमें प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन, नोडल अधिकारी, वन विभाग उत्तराखण्ड, वन संरक्षक, शिवालिक, देहरादून भी उपस्थित थे। इस बैठक के उपरान्त जारी कार्यवृत्त (संलग्नक-2) में इस परियोजना के संरेखण पर वन्य जीवों के सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ लिखित सहमति प्रदान की गयी है।
--	--

:: 3 ::

	तदोपरान्त दिनांक 10.02.2021, 28.07.2021 को वन विभाग के विभिन्न अधिकारियों के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया गया। इस दौरान वन विभाग द्वारा दिये गये सभी observations की compliance भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा की गयी है। साथ ही साथ वन विभाग द्वारा 09 बार ई0डी0एस0 (संलग्नक-3) का जवाब भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा दिया गया है तथा मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक (CWLW) के साथ भी दिनांक 07.07.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife Fund) से प्रतिनिधि भी शामिल हुए, जिसके उपरान्त विश्व वन्यजीव कोष द्वारा दिये गये सुझावों को भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा परियोजना में सम्मिलित किया गया। 7. अतः यह भी अवगत कराना है कि उक्त संरक्षण वन्य जीव एवं वन क्षेत्र पर न्यूनतम प्रभाव को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया गया है।
--	--

अतः राष्ट्रीय हित की परियोजना को दृष्टिगत रखते हुए आपसे अनुरोध है कि संदर्भित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को स्वीकृति अग्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।



(पंकज कुमार मौर्य)

महाप्रबन्धक (तक0) सह परियोजना निदेशक
प0का0ई0-वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपि:

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून – सूचनार्थ प्रेषित।
2. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून – सूचनार्थ प्रेषित।
3. टीम लीडर, मै0 योंग्मा इन्जी0 कं0 प्रा0 लि0 – को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित वन विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

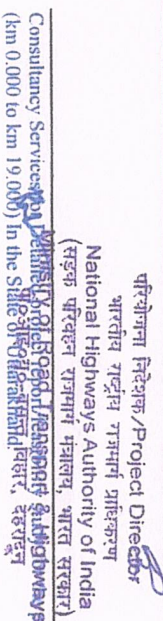


Fig 4.15: All Alignment Options

ALTERNATE ALIGNMENT OPTIONS
COMARATIVE STATEMENT (Revised)

S. No.	Characteristics	Option 1	Option 2	Option 3
1.	Start Location	Bhaniawala VUP Ch 0.000	Bhaniawala VUP Ch 0.000	Bhaniawala VUP Ch 0.000
2.	End Location	Junction with NH-58 at Rishikesh	T-Junction with NH-58 at Rishikesh	Junction with NH-58 at Rishikesh
3.	Length of Proposed Alignment (km)	20.611	19.839	18.763
4.	Length along existing Highway	20.611	12.639	2.500
5.	Length along new alignment	Nil	7.200	16.269
6.	Length in Forest	10.180	9.100	10.900
7.	Length in Non-Forest area	10.431	10.739	7.863
8.	Existing ROW (m)	12-23	12-23m	45m on existing 2.5 km NH-72 and 12-15 m on Rishikesh Road
9.	Proposed ROW (m)	23m in non-forest, 28m in forest and 36 m in approaches to VUP	23m in non-forest, 28m in forest and 36 m in approaches to VUP, 45m new alignment private land	45m Pvt. Land and 28m in Forest
10.	Forest land to be diverted Ha	14.60	19.21	29.02
11.	Total Pvt. Land Acquisition in Hectare	5.8	14.40	13.2
12.	Total Land to be Acquired (Pvt.+Govt.+Forest)	20.4	36.6	42.3
13.	Number of structures to be demolished.	64 (1926 sqm)	56 (1797 sqm)	10 (200 sqm)
14.	No. of trees to be cut in Forest land	3332	4490	7255
15.	Number of Trees in Non Forest	100	402	397
16.	Total Number of Trees to be cut	3432	4892	7652
17.	length of Major Bridges	500 m (existing 2- lane and new two lane sanctioned by MORTH)	500 m (existing 2-lane and new two lane sanctioned by MORTH)	200m
18.	length of Minor Bridges	50m	50m	50m
19.	Construction Cost of Road (Cr)	278	316	276
20.	Construction Cost of Structures (Cr)	5	5	20
21.	Provision for elephant passes	100	100	100
22.	Total Civil Cost (in Cr)	463	501	436
23.	Centages (Assumed 20%)	92.6	100.2	87.2
24.	Cost of Utility Shifting	2	2	1
25.	Total Pvt. Land Acquisition Cost (Cr)	93	98	18
26.	Cost of R & R	8	6	1
27.	Total Cost (Cr) incl LA and R & R	658.6	707.2	543.2
28.	Total Cost per Km (Cr)	31.95	35.65	28.95
29.	Number of curves less than 400 m	10	7	Nil

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पि०आइ०यू०-बसन्त विहार, देहरादून

S. No.	Characteristics	Option 1	Option 2	Option 3
	radius in plain terrain			
30.	Number of curves less than 150m radius in Hilly Terrain	8	0	Nil
31.	Merits	Given below*	Given below*	Given below*
32.	Demerits	Given below*	Given below*	Given below*
33.	Recommendations.	Recommended	Not Recommended	Not Recommended

Alignment No.1 Recommended for approval being more economical, useful & technically feasible.




 परियोजना निदेशक / Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार
 Ministry of Road Transport & Highways
 पी.आई.यू., वसन्त विहार, देहरादून
 महाप्रबंधक (तकनीकी)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 पी.आई.यू., वसन्त विहार,
 देहरादून (उत्तराखण्ड)



पौन्टा साहिब-बल्लूपुर, नन्दा की चौकी-डुंगा-मसूरी एवं प्रेमनगर-आशारोड़ी (देहरादून बाईपास/रिंग रोड) तथा भानियावाला-ऋषिकेश मार्ग के संरेखण के संबंध में मा० मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड के सम्मुख दिनांक 11.11.2020 को प्रातः 9:30 बजे प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण का कार्यवृत्त

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित थे:-

1. श्री ओम प्रकाश, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री आर०के० सुधांशु, सचिव, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री सुशील कुमार, सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री आशीष श्रीवास्तव, जिलाधिकारी, देहरादून।
6. श्री डी०जे०के० शर्मा, नोडल अधिकारी, वन विभाग उत्तराखण्ड।
7. श्री पी०के० पात्रो, वन संरक्षक, शिवालिक, देहरादून।
8. श्री हरिओम शर्मा, प्रमुख अभियन्ता, लो०नि०वि०, देहरादून।
9. श्री एस०के० बिरला, मुख्य अभियन्ता, रा०मा०, लो०नि०वि०, देहरादून।
10. श्री ओ०पी० सिंह, अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, डोईवाला।
11. श्री सी०के० सिन्हा, क्षेत्रीय अधिकारी-उत्तराखण्ड, भा०रा०रा०प्रा०, देहरादून।
12. श्री पंकज मौर्य, महाप्रबन्धक (तक०), क्षेत्रीय कार्यालय-भा०रा०रा०प्रा०, देहरादून।
13. श्री प्रशान्त मीना, उप प्रबन्धक (तक०), क्षेत्रीय कार्यालय-भा०रा०रा०प्रा०, देहरादून।
14. श्री शैलेन्द्र सिंह दांगी, स्थल अभियन्ता, भा०रा०रा०प्रा०, परियोजना का०ई०-देहरादून।
15. श्री आ०एस० शर्मा एवं DPR परामर्शदाता मै० योंग्मा इन्जी० को० प्रा०लि०, गुरुग्राम।
16. श्री रोहित रंजन, DPR परामर्शदाता मै० योंग्मा इन्जी० को० प्रा०लि०, गुरुग्राम।

सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा मा० मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए यह अवगत कराया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 03 मार्गों (पौन्टा साहिब-बल्लूपुर एवं प्रेमनगर-आशारोड़ी, नन्दा की चौकी-डुंगा-मसूरी एवं तथा भानियावाला-ऋषिकेश मार्ग) का प्रस्तुतीकरण किया जायेगा।

2- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा Power Point Presentaion के माध्यम से प्रस्तुत प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित मार्गों में वन भूमि (Forest land), आवासीय भवन एवं जन उपयोगिता के दृष्टिगत हुए विचार-विमर्शोपरान्त मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा निम्नलिखित निर्देश दिये गये:-

- (i) पौन्टा साहिब (हिमाचल प्रदेश)-बल्लूपुर (देहरादून) एवं प्रेमनगर-आशारोड़ी-भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत संरेखण (alignment) पर सहमति प्रदान

h

करते हुए यह सुझाव दिया गया कि देहरादून शहर के अंतर्गत वर्तमान में यातायात के दबाव के निराकरण हेतु आशारोड़ी से हरिद्वार-देहरादून राजमार्ग (रा0रा0 72) को भी एक नये संरेखण से जोड़ने हेतु संभावित प्रस्तावित विकल्प मार्ग का अध्ययन डी0पी0आर0 में कर लिया जाय। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के परामर्शदाता द्वारा यह अवगत कराया गया कि पोन्टासाहिब-बल्लूपुर परियोजना के धर्मावाला-पौन्टा साहिब भाग पर भूमि चिन्हीकरण के दौरान दृष्टिगत हुआ है कि राजस्व विभाग के अभिलेख एवं वन विभाग के अभिलेखों में मौके पर भिन्नता पायी गयी। इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा जिलाधिकारी, देहरादून को यह निर्देश दिये गये कि उक्त भिन्नता का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र अपने स्तर से कराये ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न न हो। इस हेतु वन बंदोबस्त अधिकारी की नियुक्ति की जाये।

(कार्यवाही-जिलाधिकारी देहरादून/क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून/)

- (ii) नन्दा की चौकी-डुंगा-मसूरी- इस मार्ग के संरेखण (alignment) में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने हर्बटपुर-देहरादून के मुख्य मार्ग में स्थित नन्दा की चौकी तथा सुद्धोवाला से डुंगा होते हुए मसूरी तक के विकल्प का प्रस्तुतीकरण किया। इन दोनों स्थानों से प्रस्तावित मार्ग में अत्यधिक वृक्षों के कटान, आवासीय/व्यवसायिक भवनों की संख्या अधिक होने के दृष्टिगत मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सेलाकुई से डुंगा होते हुए मार्ग निर्माण के विकल्प का अध्ययन किये जाने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही- क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून)

- (iii) भानियावाला-ऋषिकेश मार्ग-मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा मार्ग में आ रहे तीव्र मोड़ों को सीधा करने का सुझाव दिया गया तथा क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड देहरादून को निर्देश दिये गये कि वन विभाग के साथ समन्वय स्थापित करते हुए वन्य जीवों के सुगम आवागमन हेतु आवश्यक उपाय किये जाये। भानियावाला से गुजरने वाले प्रस्तावित मार्ग के लिए दो लेन/चार लेन के अनुसार आवश्यक भूमि अधिग्रहण एक बार में ही करना सुनिश्चित किया जाय।

(कार्यवाही-वन विभाग/राजस्व विभाग/जिलाधिकारी देहरादून/क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून)



- (iv) उक्त के अतिरिक्त बैठक में क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून ने यह भी अनुरोध किया कि राज्य सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण एवं निर्माण से पूर्व कार्य हेतु सहायता प्रदान की जाय, जिस पर मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही—राजस्व विभाग/वन विभाग/लोक निर्माण विभाग/जिलाधिकारी देहरादून)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापित करने के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण अनुभाग-03

संख्या—1456/III(3)/2020-16(एन०एच०)2018

देहरादून : दिनांक 13 नवम्बर, 2020

संख्या—1456/III(3)/2020-16(एन०एच०)2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. वरिष्ठ निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी, देहरादून।
6. नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. मुख्य अभियन्ता, रा०मा०, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

88

आज्ञा से,
(दिनेश कुमार पुनेठा)
अनु सचिव।

EDS sought	Send by	Send to	Status	Date	
Find attached copy	DFO (Dehradun)	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	EDS	09/05/2022	EDS-1
The correction have been made as per the instruction received	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	DFO (Dehradun)	REPLY	21/07/2022	
The proposal is incomplete Enumeration of Trees is still incomplete	DFO (Dehradun)	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	EDS	03/08/2022	EDS-2
The correction have been made as per the instruction received	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	DFO (Dehradun)	REPLY	16/08/2022	
Kindly forward proposal after completing all formalities	DFO (Dehradun)	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	EDS	18/08/2022	EDS-3
The correction have been made as per the instruction received	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	DFO (Dehradun)	REPLY	26/08/2022	
Kindly upload signed copy of approved FRA	DFO (Dehradun)	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	EDS	31/08/2022	EDS-4
The correction have been made as per the instruction received	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	DFO (Dehradun)	REPLY	12/12/2022	
Proposal incorrect	DFO (Dehradun)	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	EDS	17/01/2023	EDS-5
The correction have been made as per the instruction received	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	DFO (Dehradun)	REPLY	01/02/2023	
please upload sine copy	DFO (Dehradun)	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	EDS	27/02/2023	EDS-6
The correction have been made as per the instruction received	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	DFO (Dehradun)	REPLY	03/03/2023	
1. DFO may provide Correct CA Maps & KML file in point no. 13 of Part II. 2. Review point no. 8 of Part II & may provide correct detail.	CF (Shivalik)	DFO (Dehradun)	EDS	23/03/2023	EDS-7
Distance certificate not uploaded	DFO (Dehradun)	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	EDS	24/03/2023	
The correction have been made as per the instruction received	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	DFO (Dehradun)	REPLY	24/03/2023	
The correction have been made as per the instruction received	DFO (Dehradun)	CF (Shivalik)	REPLY	24/03/2023	
DFO may review point no. 8 iv of Part II & provide correct detail.	CF (Shivalik)	DFO (Dehradun)	EDS	24/03/2023	EDS-8
The correction have been made	DFO (Dehradun)	CF (Shivalik)	REPLY	24/03/2023	
find the letter attached	CF (Shivalik)	DFO (Dehradun)	EDS	27/03/2023	
The correction have been made.	DFO (Dehradun)	CF (Shivalik)	REPLY	27/03/2023	
find the letter attached	CF (Shivalik)	DFO (Dehradun)	EDS	27/03/2023	
Answer the query of CF Shivalik, Wildlife	DFO (Dehradun)	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	EDS	28/03/2023	
The correction have been made as per the instruction received	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	DFO (Dehradun)	REPLY	12/05/2023	
Answer of query.	DFO (Dehradun)	CF (Shivalik)	REPLY	24/06/2023	
find the letter attached	Nodal Officer	CF (Shivalik)	EDS	21/07/2023	EDS-9
find the letter attached	CF (Shivalik)	DFO (Dehradun)	EDS	22/07/2023	
Bhaniyawala	DFO (Dehradun)	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	EDS	22/07/2023	
The correction have been made as per the instruction received	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	DFO (Dehradun)	REPLY	02/08/2023	
Letter	DFO (Dehradun)	CF (Shivalik)	REPLY	03/08/2023	
DFO provide the necessary document	CF (Shivalik)	DFO (Dehradun)	EDS	05/08/2023	
Letter	DFO (Dehradun)	CF (Shivalik)	REPLY	05/08/2023	
please find the letter attached	CF (Shivalik)	Nodal Officer	REPLY	07/08/2023	
please send the rectified as per HOFF sir minutes dated 20-07-23	Nodal Officer	CF (Shivalik)	EDS	10/08/2023	
please send the rectified as per HOFF sir minutes dated 20-07-23	CF (Shivalik)	DFO (Dehradun)	EDS	10/08/2023	
Minutes	DFO (Dehradun)	User Agency (piuvasantvihar.forest@gmail.com)	EDS	10/08/2023	

bs



कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



संयुक्त प्रमुख
वन संरक्षण

पत्रांक:- 101 / FP/UK/ROAD/146663/2021 :देहरादून:दिनांक: 20 जुलाई, 2023

सेवा में,

- 1 वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2 प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग,
देहरादून।

विषय :- दिनांक 10.07.2023 को समय अपरान्ह 3.00 बजे प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं/प्रस्तावित कार्यों में वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के संबन्ध आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

महोदय,

दिनांक 10.07.2023 को समय अपरान्ह 3.00 बजे प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं/प्रस्तावित कार्यों में वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों की बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर इस आशय प्रेषित की जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरणों में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही करते हुए वांछित सूचना तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि इन महत्वपूर्ण प्रकरणों का शीघ्रताशीघ्र निस्तारण किया जा सके।

संलग्नक:- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) के बैठक की कार्यवृत्त

भवदीय,

(आर0के0 मिश्रा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या: 101 / FP/UK/ROAD/146663/2021 तददिनांकित।

1. प्रतिलिपि:-प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके उक्त कार्यवृत्त पत्र दिनांक 20-07-2023 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:-प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि:- परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0, मकान नं0- 171, फेज-1, वसन्त विहार, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0 मिश्रा)

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

9c

दिनांक 10.07.2023 को समय अपरान्ह 3.00 बजे, प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा निर्माणाधीन परियोजनाओं/प्रस्तावित कार्यों में वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरणों के संबंध में आहुत बैठक का कार्यवृत्त।

उपस्थिति:-

1. डा0 समीर सिन्हा, प्रमुख वन संरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. श्री रंजन कुमार मिश्र, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. श्री राजीव धीमान, वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून, उत्तराखण्ड।
4. श्री पंकज कुमार मौर्य, परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0-वसन्त विहार (देहरादून)।
5. श्री नीतीश मणि त्रिपाठी, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

दिनांक 10.07.2023 को प्रमुख वन संरक्षक (HoFF), उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत भा0रा0रा0प्रा0 द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं 1. ऋषिकेश-भानियावाला एवं 2. झाझरा-आशारोड़ी में वन प्रकरण के संबंध में बैठक का आयोजन वन मुख्यालय, राजपुर रोड़, देहरादून में किया गया।

सर्वप्रथम बैठक में अध्यक्ष महादेय की अनुमति से बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का स्वागत करते हुये बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

A. परियोजना का नाम : उत्तराखण्ड राज्य अन्तर्गत रा0रा0-07, झाझरा से दिल्ली एक्सप्रेसवे (कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000) आशारोड़ी तक भाग के 4-लेन ग्रीनफील्ड रोड़ कनेक्टिविटी

1. परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0-वसन्त विहार (देहरादून) द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित परियोजना दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे से पांचटा साहिब-बल्लूपुर को जोड़ते हुए देहरादून में आने वाले यातायात को कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। संदर्भित परियोजना हेतु वन विभाग अन्तर्गत 20.0849 हे0 वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर वानिकी प्रयोग हेतु किया जाना है। परियोजना की कुल लंबाई 12 कि0मी0 में से 6.71 कि0मी0 भाग देहरादून वन प्रभाग की आशारोड़ी रेंज के अन्तर्गत आरक्षित वन क्षेत्र से होकर गुजर रहा है, जिससे कुल 6574 वृक्ष (इसमें साल प्रजाति के विभिन्न व्यास वर्ग के 4057 वृक्ष भी सम्मिलित हैं) प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना में नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 261 वृक्ष (216 गैर फलदार + 45 फलदार) एवं गैर वन भूमि (सड़क किनारे) पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के 08 वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) एवं अन्य उपस्थित वनाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त यह पाया कि चूंकि इस परियोजना के वन क्षेत्रान्तर्गत 6.71 कि0मी0 के भाग में 6574 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जो कि अत्यधिक हैं। यदि इतने वृक्षों का पातन उक्त परियोजना हेतु किया जायेगा तो इससे उक्त क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा परियोजना निदेशक, भा0रा0रा0प्रा0, पी0आई0यू0-वसन्त विहार (देहरादून) को निर्देश दिये गये कि उक्त परियोजना हेतु टनल/ ऐलिवेटेड/अन्य विकल्पों पर पुनः विचार किया जाए, जिससे कि प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यून किया जा सके।

8

B. परियोजना का नाम : उत्तराखण्ड राज्य के जनपद-देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग सं० ०७ के भानियावाला (देहरादून) से त्रिभुवन रोड (स्पर) के डिजाईन कि०मी० ०.००० से कि०मी० २०.६०० तक मौजूदा सड़क के चार लेन एवं सुदृढीकरण हेतु

१. परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्रा०, पी०आई०यू०-वसन्त विहार (देहरादून) द्वारा अवगत कराया गया है कि संदर्भित परियोजना देहरादून, त्रिभुवन रोड व जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट में आने जाने वाले यातायात को कम करने के उद्देश्य से विकसित की जा रही है। संदर्भित परियोजना हेतु देहरादून वन प्रभाग की बड़कोट, त्रिभुवन रोड एवं थानों रेंज में कुल १९.८३४५ है० वन भूमि का प्रत्यावर्तन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को गैर वानिकी प्रयोग हेतु किया जाना है। परियोजना की कुल लंबाई २०.६० कि०मी० में से ९.१७० कि०मी० भाग वन क्षेत्रान्तर्गत से होकर गुजर रहा है, जिसमें विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के कुल ४४४२ वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना में गैर वन भूमि (सड़क किनारे) पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के २१५ वृक्ष एवं नाप भूमि पर विभिन्न प्रजाति एवं व्यास वर्ग के २०९ वृक्ष भी प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना निदेशक द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि संदर्भित परियोजना अन्तर्गत वन्यजीवों/हाथी के आवागमन हेतु ०५ पैलिफेन्ट अण्डरपास प्रस्तावित हैं।

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) एवं अन्य उपस्थित वनाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्ताव के अवलोकनोपरान्त यह पाया कि इस रोड पर यातायात कम है एवं जाम की स्थिति नहीं होती है। साथ ही इस परियोजना के चौड़ीकरण में कुल ४४४२ वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जो कि अत्यधिक हैं। यदि इतने वृक्षों का पातन उक्त परियोजना हेतु किया जायेगा तो इससे उक्त क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रबल सम्भावना है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा परियोजना निदेशक, भा०रा०रा०प्रा०, पी०आई०यू०-वसन्त विहार (देहरादून) को निर्देश दिये गये कि इस परियोजना के ४-लेन चौड़ीकरण की आवश्यकता एवं उपयोगिता के संबंध में पुनर्विचार किया जाय।

अन्त में प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) द्वारा उपस्थित समस्त अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

अनुमोदित

(अनूप मलिक)

प्रमुख वन संरक्षक (HoFF),
उत्तराखण्ड, देहरादून।

23/04/23
(रंजन कुमार मिश्र)

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।